CHAPTER VI
SPECIAL PROVISIONS RELATING TO STATE TRANSPORT UNDERTAKINGS

6.1. Definition.– For the purpose of this Chapter unless there is anything repugnant in the subject or context:–

[1][(क) *"प्रबन्ध निदेशक"* से राज्य परिवहन उपक्रम का प्रबन्ध निदेशक अभिप्रेत है;]

(b) **Scheme**– Means a Scheme framed in pursuance of Section 99 of the Act.

[1][(ग) *"राज्य परिवहन उपक्रम"* से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (42) में यथा परिभाषित उपक्रम अभिप्रेत है।]

6.2. Preparation of Scheme.– While preparing Scheme under this Chapter the State Government may call any information from Rajasthan State Transport undertaking with a view to formulate a proposal regarding Scheme under section 99 of the Act. The Scheme shall be published in Form R.S.6.1 in Official Gazette and not less than one newspaper in Hindi language circulating in the area or route proposed to be covered by such scheme, by the Government.

6.3. Manner of Filing Objections.– (1) Any person affected by the Scheme and wishing to File Objections under section 100 of the Act shall do so in the form of a memorandum in duplicate, setting forth concisely the grounds of Objections to the Scheme within 30 days of the publication of the Scheme in the Official Gazette.

(2) The memorandum of objection shall be addressed to the Secretary to the Government of Rajasthan in the Transport Department.

(3) A copy of the memorandum shall be sent by the Objector to the Managing Director of [1][Concern State Transport Enterprises (उपक्रम)].

(4) The memorandum of Objections shall also contain the following information:–

(i) full name and permanent address of the Objector;

(ii) whether or not such person is holder of a permit issued under the provisions of the Act;

(iii) the particulars of the route or routes as specified in such permit or permits;

(iv) the Manner in which Objector is affected by the Scheme.

6.4. Consideration and Disposal of Objections.– (1)The Objections received shall be considered by such Officer as is authorised to do so by order under the rules made by the Governor in pursuance of clause (3) of Article 166 of the Constitution of India.

(2) The said Officer shall fix the date, time and place of hearing of the Objections and issue general notice in the Official Gazette asking the Objector and the Managing Director to appear before him in person or through a duly authorised agent and the publication of the notice in the Official Gazette shall be deemed to be personal service on the parties.

---

1. अधि.सं. एफ. 7(3) परि/रूल्स/एच.क्यू./1995/17833, दिनांक 4.9.2008, जी.एस.आर. 79 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग–4–6(1), दिनांक 8.9.2008 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

अध्याय–6

राज्य परिवहन उपक्रम सम्बन्धी विशेष उपबन्ध

6.1. परिभाषायें.– इस अध्याय के प्रयोजनार्थ जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल हो:–

[1][(क) ***"प्रबन्ध निदेशक"*** से राज्य परिवहन उपक्रम का **प्रबन्ध निदेशक** अभिप्रेत है;]

(ख) ***"स्कीम"*** से अधिनियम की धारा 99 के अनुसरण में बनाई गई कोई स्कीम अभिप्रेत है।

[1][(ग) ***"राज्य परिवहन उपक्रम"*** से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (42) में यथा परिभाषित उपक्रम अभिप्रेत है।]

6.2. स्कीम की तैयारी.– इस अध्याय के अधीन स्कीम बनाते समय राज्य सरकार राजस्थान राज्य परिवहन उपक्रम से अधिनियम की धारा 99 के अधीन स्कीम सम्बन्धी प्रस्ताव बनाने की दृष्टि से कोई सूचना मंगवा सकेगी। यह स्कीम प्ररूप आर.एस. 6.1 में राजपत्र में तथा कम से कम एक हिन्दी भाषा के समाचार पत्र में, जो उस प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग में परिचालित होता है, राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जायेगी।

6.3. आपत्तियां प्रस्तुत करने का तरीका.– (1) इस स्कीम से प्रभावित कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 100 के अधीन आपत्तियां प्रस्तुत करना चाहता है, ऐसा एक ज्ञापन के रूप में, दो प्रतियों में, स्कीम के प्रति आपत्तियों के आधारों को संक्षेप में बताते हुए राजपत्र में स्कीम के प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर करेगा।

(2) आपत्तियों का ज्ञापन शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार को सम्बोधित होगा।

(3) आपत्तिकर्त्ता द्वारा इस ज्ञापन की प्रति [1][संबंधित राज्य परिवहन उपक्रम] के प्रबंध निदेशक को भेजी जायेगी।

(4) आपत्तियों के ज्ञापन में निम्नलिखित सूचना भी होंगी:–

(i) आपत्तिकर्त्ता का पूरा नाम और स्थायी पता;

(ii) ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किये गये परमिट का धारक है या नहीं;

(iii) ऐसे परमिट या परमिटों में विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों का विवरण;

(iv) वह रीति जिससे आपत्तिकर्त्ता इस स्कीम से प्रभावित हुआ है।

6.4. आपत्तियों पर विचार और निस्तारण.– (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) के अनुसरण में राज्यपाल द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन आदेश द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी प्राप्त हुई आपत्तियों पर विचार करेगा।

(2) उक्त अधिकारी आपत्तियों की सुनवाई के लिये दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और राजपत्र में एक सामान्य नोटिस जारी करते हुए आपत्तिकर्त्ता और प्रबन्ध–निदेशक को उसके सामने व्यक्तिगत रूप से या उचित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंजात होने के लिये कहेगा और राजपत्र में नोटिस का प्रकाशन पक्षकारों पर व्यक्तिगत तामील समझी जायेगी।

---

1. अधि.सं. एफ. 7(3) परि/रूल्स/एच.क्यू./1995/17833, दिनांक 4.9.2008, जी.एस.आर. 79 (राज. राजपत्र विशेषांक भाग–4–6(1), दिनांक 8.9.2008 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(3) The notice under sub-rule (2) shall be published at least 30 days before the date of hearing fixed.

(4) No Objector shall be entitled to be heard by the State Government unless the objections are made in accordance with the provisions of these rules.

(5) After hearing Objections the parties as may appear, the Officer shall have a decision whether the scheme should be approved or modified, as he may deem proper.

6.5. Publication of Approved Scheme.– Subject to proviso to sub-section (3) of Section 100 of the Act, a Scheme so Approved or modified shall be published in the Official Gazette and at least one Hindi newspaper circulating in the area or route covered by such Scheme in Form R.S. 6.2.

6.6. Consequences of publication of the scheme.– Upon the publication of the scheme under sub-section (3) of section 100 of the Act, the consequences as hereinafter stated, shall have effect in respect of the notified route or area or portion thereof:–

(1) No person other than the State Transport Undertaking either singly or in conjunction with other State Transport Undertaking shall be entitled to a permit under Chapter V of the Act.

(2) The Managing Director shall communicate the Scheme Published under rule (5) to the Regional Transport Authority or to each Regional Transport Authority and each such Regional Transport Authority, as the case may be, shall give effect to the pproved Scheme forthwith.

6.7. Application for permit under Section 103.– (1) Every application under sub-section (1) of Section 103 for a Stage Carriage permit shall be made in the Form R.S. 5.2 and for a contract Carriage permit in Form R.S. 5.3.

(2) The State Transport Authority or the Regional Transport Authority, as the case may be, shall on receiving applications referred to sub-rule (1) satisfy itself that the application relates to notified area or the route specified in Approved Scheme and shall issue stage carriage permit in the Form R.S. 5.10 and Contract Carriage permit in Form R.S. 5.11 to the State Transport Undertaking.

6.8. Contravention of the approved scheme prohibited.– (1) No person shall use or cause to be used a transport vehicle on the notified route or area or portion thereof in contravention of the provisions of the approved scheme.

(2) Nothing in this rule shall apply to use on transport vehicle in emergency for the convenience of a person suffering from sickness or injury or for the transport of dead body or for the transport of medical aid or medical medicines supplied to relief distressed:

Provided that the person operating a vehicle shall report, within seven days, such use to the Registering Authority of the region in which he does so.

6.9. Giving effect to the approved scheme.– (1) For the purpose of giving effect to the approved schemes, the Regional Transport Authority concerned shall forthwith cancel or modify or refuse to renew or make ineffective the existing permit in respect of notified route or portion thereof and serve upon the holder of such permits notices to that effect.

(3) उप-नियम (2) के अधीन नोटिस सुनवाई की निश्चित की गई दिनांक से कम से कम 30 दिन पहले प्रकाशित किया जायेगा।

(4) कोई आपत्तिकर्त्ता राज्य सरकार द्वारा सुने जाने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि ऐसी आपत्तियां इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नहीं की गयी हों।

(5) पक्षकार, जो उपस्थित हों, उनकी आपत्तियों को सुनने के बाद अधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि क्या स्कीम को अनुमोदित या परिवर्तित किया जाये, जैसा वह उचित समझे।

6.5. अनुमोदित स्कीम का प्रकाशन.— अधिनियम की धारा 100 की उप-धारा (3) के परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए, इस प्रकार अनुमोदित या परिवर्तित स्कीम को प्ररूप आर.एस. 6.2 में राजपत्र में और कम से कम एक हिन्दी समाचार पत्र में जो ऐसी स्कीम से आवृत क्षेत्र या मार्ग में परिचालित होता है, प्रकाशित किया जायेगा।

6.6. स्कीम के प्रकाशन के परिणाम.— अधिनियम की धारा 100 की उप-धारा (3) के अधीन स्कीम के प्रकाशन पर, अधिसूचित मार्ग या क्षेत्र या उसके भाग के बारे में आगे बताये गये परिणाम प्रभावशील होंगे:—

(1) राज्य परिवहन उपक्रम, या तो अकेले या किसी दूसरे राज्य परिवहन उपक्रम के साथ, से भिन्न कोई व्यक्ति अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन कोई परमिट के लिये हकदार नहीं होगा।

(2) नियम 5 के अधीन प्रकाशित स्कीम का प्रबन्ध-निदेशक, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण या प्रत्येक प्रा.प.प्रा. को संसूचित करेगा और प्रत्येक ऐसा प्रा. प. प्रा., यथास्थिति, तुरन्त अनुमोदित स्कीम को लागू करेगा।

6.7. धारा 103 के अंधीन परमिट के लिये आवेदन.— (1) धारा 103 की उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन मंजिली गाड़ी परमिट के लिये प्ररूप आर.एस. 5.2 में और ठेका गाड़ी परमिट के लिये प्ररूप आर.एस. 5.3 में किया जायेगा।

(2) राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, यथास्थिति, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदनों को प्राप्त करने पर अपना समाधान करेगा कि आवेदन अनुमोदित स्कीम में वर्णित अधिसूचित क्षेत्र या मार्ग से सम्बन्धित है और वह प्ररूप आर.एस. 5.10 में मंजिली गाड़ी परमिट और प्ररूप आर.एस. 5.11 में ठेका गाड़ी परमिट राज्य परिवहन उपक्रम को जारी करेगा।

6.8. अनुमोदित स्कीम का उल्लंघन प्रतिषिद्ध.— (1) अनुमोदित स्कीम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए कोई व्यक्ति अधिसूचित मार्ग या क्षेत्र या उसके किसी भाग पर कोई परिवहन यान न तो चलायेगा न चलवायेगा।

(2) इस नियम की कोई भी बात, आपातकाल में रोग या चोट से ग्रसित व्यक्ति को ले जाने के लिये या मृत शरीर का परिवहन करने के लिये या संकट में मदद के लिये मेडिकल सहायता या मेडिकल दवाइयां सप्लाई करने के लिये किसी परिवहन-यान के उपयोग पर लागू नहीं होगी:

परन्तु वह व्यक्ति जो यान का प्रचालन करता है, ऐसे उपयोग की सूचना सात दिनों के भीतर, उस प्रदेश के रजिस्ट्रीकर्त्ता प्राधिकारी को देगा, जिसमें वह ऐसा करता है।

6.9. अनुमोदित स्कीम को लागू करना.— (1) अनुमोदित स्कीम को लागू करने के प्रयोजन के लिये, सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण तुरन्त अधिसूचित मार्ग या उसके भाग के सम्बन्ध में विद्यमान परमिट को रद्द या परिवर्तित करेगा या नवीकृत करने से इन्कार करेगा या उसे निष्प्रभावी करेगा और ऐसे परमिटों के धारक को उस आशय के नोटिस तामील करायेगा।

(2) Nothing contained in Chapter V of the Act or in the Rules made thereunder, shall apply to the proceedings taken under these rules

6.10. Disposal of articles found in the vehicle.– (1) The maximum period for claiming by owner of any article left by him in any transport vehicle operated by the State Transport Undertaking shall be 15 days.

(2) Where any article found in any such vehicle is not claimed by its owner within the period mentioned in sub-rule (1), the State Transport Undertaking may sell the article by public auction. A notice of such auction shall be displayed, 15 days in advance of the date of auction on the notice board at the place where the auction is to be held and also publish in the local news papers:

Provided that nothing in this rule shall apply to any article which is or perishable nature or has any danger of loading the greater part of its value and it shall be lawful for the Stage Transport Undertaking to dispose off any such article at any time as the circumstances may require.

6.11. Manner of service of an order under Chapter VI.– Every order under Chapter VI of the Act shall be served:–

(a) by tendering or delivering a copy thereof the person on whom it is to be served or his agent, if any, or

(b) by sending it by registered post at the last known address of the person on whom it is to be served, or

(c) by fixing a date of some conspicuous place of his last known residence or place of business in case the above two methods are considered impracticable.

CHAPTER VII
CONSTRUCTION, EQUIPMENT AND MAINTENANCE OF MOTOR VEHICLES

7.1. General rules regulation of construction etc. of Motor Vehicle.– (1) No person shall use and no person shall cause or allow to be used or to be in any public place any motor vehicle which does not comply with the rules contained in Chapter V of the Act, and rules made under this Chapter by Central/ State Government or with any order thereunder made by Competent Authority to pass such order.

(2) Nothing in this rule shall apply to a motor vehicle which has been damaged in an accident while at the place of the accident or to a vehicle so damaged or otherwise rendered defective while being removed to the reasonably nearest place of repair or disposal.

(3) Provided that where a motor vehicle can no longer remain under the effective control of the person driving the same it shall not be moved except by towing.

7.2. Use of Red Lights.– The State Government may allow the use of red light to the front of the motor vehicle carrying high dignitaries or a vehicle escorting such vehicle as may be notified from time to time.

(2) अधिनियम के अध्याय 5 या उसके अधीन बनाये गये नियमों में वर्णित कोई भी बात, इन नियमों के अधीन की गई कार्यवाही को लागू नहीं होगी।

6.10. **यान में पाई गई वस्तुओं का निस्तारण.**— (1) राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा प्रचालित किसी परिवहन यान में छोड़ दी गई किसी वस्तु के मालिक द्वारा उसकी मांग करने की अधिकतम अवधि 15 दिनों की होगी।

(2) जहां ऐसे किसी यान में पायी गई वस्तु का उसके मालिक द्वारा उप–नियम (1) में बताई गई अवधि के भीतर दावा नहीं किया जाता है, तो राज्य परिवहन उपक्रम उस वस्तु को लोकनीलामी द्वारा बेच सकेगा। ऐसी नीलामी का नोटिस, नीलामी की दिनांक से 15 दिन पहले, उस स्थान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जायेगा, जहां नीलामी की जानी है और स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जावेगा:

परन्तु इस नियम की कोई भी बात ऐसी वस्तु को लागू नहीं होगी, जो नष्ट होने वाली है या जिसके मूल्य का अधिकतर भाग चढ़ाने का कोई खतरा हो और राज्य परिवहन उपक्रम के द्वारा ऐसी किसी वस्तु का किसी भी समय परिस्थितियों के अनुसार निस्तारण करना विधिसम्मत होगा।

6.11. **अध्याय 6 के अधीन आदेश की तामील का तरीका.**— अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन प्रत्येक आदेश की तामील निम्न प्रकार से की जायेगी:—

(क) जिस व्यक्ति पर इसकी तामील की जानी है, उस व्यक्ति को या उसके प्रतिनिधि को, जो कोई हो, उस आदेश की प्रति निविदत्त को सौंप कर, या

(ख) उस व्यक्ति, जिस पर इसकी तामील की जानी है, के पिछले ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजकर,

(ग) जब उपर्युक्त दोनों तरीकों को अप्रयोज्य माना जाये, तो उसकी एक प्रति उसके पिछले ज्ञात निवास स्थान या कारबार स्थान पर किसी खुले स्थान पर चिपकवा कर।

अध्याय—7

मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण

7.1. **मोटर यानों के निर्माण आदि के विनियमन के सामान्य नियम.**— (1) किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान जो अधिनियम के अध्याय 5 और इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों या उसके अधीन किसी आदेश जो ऐसा आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया है, में वर्णित नियमों की अनुपालना नहीं करता है, तो उसे न कोई व्यक्ति उपयोग में लेगा, और न कोई व्यक्ति उसका उपयोग करवायेगा या न ऐसी अनुमति देगा।

(2) इस नियम की कोई भी बात, ऐसे मोटर यान को लागू नहीं होगी, जो किसी दुर्घटना में दुर्घटना स्थल पर क्षतिग्रस्त हो गया है, दुर्घटना स्थल पर हो, या इस प्रकार क्षतिग्रस्त यान को या अन्यथा खराब हो गये यान को, जब कि उसे मरम्मत या निस्तारण के निकटतम स्थान के लिये उचित रूप से हटाया जा रहा था।

(3) परन्तु जहां कोई मोटर यान उसे चलाने वाले व्यक्ति के प्रभावी नियंत्रण के अधीन अब नहीं चलता हो, तो उसे सिवाय खेंचने के, नहीं चलाया जायेगा।

7.2. **लाल बत्तियों का प्रयोग.**— राज्य सरकार उच्च पदस्थ व्यक्तियों को वहन करने वाले या यान की सुरक्षा करने वाले यान के सामने लाल बत्ती के प्रयोग की अनुमति दे सकेगी, जो समय पर अधिसूचित की जा सकेगी।